

Ministry of Finance

Department of Expenditure

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.634

TO BE ANSWERED ON FEBRUARY 6, 2023/ MAGHA 17, 1944 (SAKA)

Monthly Group Insurance Scheme

QUESTION

634: Shri Hazi Fazlur Rehman:

Will the Minister of *Finance* be pleased to state:

- whether the Seventh Pay Commission *inter-alia* recommended to provide Rs.50 lakh, 25 lakh and 15 lakh to group 'A', 'B' and 'C' employees respectively under Monthly Group Insurance Scheme and if so, the details thereof;
- whether any financial burden has increased on the Government after adoption of the said recommendations;
- if so, the details thereof;
- if not, whether these recommendations have been adopted by the Government;
- if so, the details thereof; and
- if not, by when it is likely to be adopted?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE

(SHRI PANKAJ CHOUDHARY)

- (a) Yes Sir. The 7<sup>th</sup> CPC recommended for following rates of CGEGIS:

Level of Employee	Monthly Deduction (₹)	Insurance Amount (₹)
10 and above	5000	50,00,000
6 to 9	2500	25,00,000
1 to 5	1500	15,00,000

- (b) to (f) The Union Cabinet decided not to accept the steep hike in monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS), as recommended by the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission. Since, the above recommendations were not accepted by the Cabinet, the financial burden on the Government does not arise.

\*\*\*\*\*

FINAL DRAFT REPLY  
LSQ No. 634  
DATE 06/02/2023

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 634

सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

मासिक समूह बीमा योजना

634. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सातवें वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ समूह क, ख और ग के कर्मचारियों को मासिक समूह बीमा योजना के अंतर्गत क्रमशः 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद सरकार पर कोई वित्तीय बोझ बढ़ गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसे कब तक अपनाए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) जी हां। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सीजीईजीआईएस की निम्नलिखित दरों के लिए सिफारिश की है:

कर्मचारी का लेवल	मासिक कटौती (₹)	बीमा राशि (₹)
10 तथा अधिक	5000	50,00,000
6 से 9	2500	25,00,000
1 से 5	1500	15,00,000

(ख) से (च) संघीय मंत्रीमंडल ने 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) के लिए मासिक अंशदान में तीव्र वृद्धि को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है। चूंकि, उपर्युक्त सिफारिशें मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकार नहीं की गयी थीं, अतः सरकार पर वित्तीय भार का प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*